


कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, भोपाल

क्रमांक 6501 /

भोपाल, दिनांक 16/03/17

सूचना

समस्त बस संचालकों को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय एवं एसटीएटी से रिमार्ड प्रकरण की सुनवाई दिनांक 20.03.2017 को अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया जाता है। प्रकरण की सुनवाई दिनांक 25.03.2017 को दोपहर 12.00 बजे कार्यालय संभागीय उप परिवहन आयुक्त भोपाल में किया जाना नियत है। अतः सर्व संबंधित नियत दिनांक को उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें।


सचिव 16/3/17

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार


भोपाल

पृ. क्रमांक

भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि :-

- 01 संभागीय उप परिवहन आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- 02 स्मार्ट कार्ड शाखा प्रभारी भोपाल की ओर जन समान्य की जानकारी हेतु विभागीय वेबसाईड पर प्रकलन किये जाने हेतु।
- 03 कार्यालयीन सूचना पटल पर प्रकलन हेतु।


सचिव 16/3/17

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार

भोपाल